

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 244/22

तारीख दायर 16.6.2022

रामरतन पुत्र घासी जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया हालमुकाम अम्बेडकर कॉलोनी तहसील एवं भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रेहाना बानो पत्नि अख्तर अली जाति मुस्लमान उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहनीदेवी पत्नि कन्हैयालाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भवानीशंकर पुत्र घीसीलाल जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 16.6.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बिजौलियांकलां पटवार हल्का बिजौलियांकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 530 पर अंकित आराजी संख्या 91/4 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलियांकलां पटवार हल्का बिजौलियांकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 530 पर अंकित आराजी संख्या 91/4 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
अपरखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 244/22
प्रेषिति :-

तारीख दायर 16.6.2022

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या244...../ 2022 पत्थरगढ़ी बाबत।

रामरतन पुत्र घासी जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया
हालमुकाम अम्बेड़कर कॉलोनी तहसील एवं भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी


बनाम

1. रेहाना बानो पत्नि अख्तर अली जाति मुस्लमान उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहनीदेवी पत्नि कन्हैयालाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भवानीशंकर पुत्र घीसीलाल जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम बिजौलियांकलां पटवार हल्का बिजौलियांकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 530 पर अंकित आराजी संख्या 91/4 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पडौसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा